न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 160/2018 (223 आरटीए) श्रीराम वगै. बनाम राजस्थान सरकार

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2018/00410)

1 श्रीराम पुत्र श्री पूनाराम जाति कुम्हार,
2 किशनाराम पुत्र श्री पूनाराम जाति कुम्हार,
3 रामचन्द्र पुत्र श्रीराम जाति कुम्हार
सभी निवासीगण ग्राम झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर।

..... अपीलांटस्

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

..... रेस्सपोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी जोधपुर दिनांक 11.07.2016 अंतर्गत राजस्व वाद सं. 102/2009

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यदेवसिंह चारण।
2 रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 28.01.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के राजस्व वाद सं. 102/2009 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2016 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील को प्रस्तुत करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिये अपीलांट ने धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष धारा 88, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वादी अपीलांट की ओर से राजस्व वाद सं. 102/2009 पेश किया कि ग्राम झालामण्ड के ढण्ढ की ढाणियां तहसील जोधपुर जिला जोधपुर में खेत खसरा नं. 537 रकबा 27 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम, स्थित है। इस खसरे की संपूर्ण भूमि पर अपीलांट्स के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पूर्वज भूराराम पुत्र आईदान के कब्जा काश्त की कृषि भूमि चली आ रही है। जिस कृषि भूमि पर धूड़ाराम के वंशज अपीलांट्स का कब्जा काश्त आज दिन तक चला आ रहा है। वक्त सेटलमेंट से पूर्व ही उपरोक्त खसरान की कृषि भूमि के मालिक अपीलांट्स के पूर्वज धूड़ाराम ही थे। सेटलमेंट के वक्त धूड़ाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी दर्ज की गई जो धूड़ाराम के नाम लंबे समय तक दर्ज चली आ रही थी धूड़ाराम के स्वर्गवास के पश्चात उनके वारिस पूनाराम का कब्जा काश्त मौके पर था जो निरंतर रूप से चला आ रहा था। पूनाराम के स्वर्गवास के पश्चात उनके वारिस उनकी पत्नी मथुरादेवी एवं अपीलांट्स का कब्जा काश्त मौके पर चला आ रहा है। वर्तमान में पूनाराम की पत्नी मथुरादेवी का दोराने दावा दिनांक 18.05.2010 को स्वर्गवास हो चुका था एवं इनके स्वर्गवास के पश्चात अपीलांट्स ही मौके पर काबिज एवं कब्जा काश्त चला आ रहा है। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट्स को तंग व पेरशान करने तथा अपीलांट्स को अपने खातेदारी कृषि भूमि से बेदखल करने की धमकी दिये जाने पर अपीलांट्स द्वारा जानकारी किये जाने बाबत सर्वप्रथम दिनांक 10.10.2008 को जानकारी में आया कि अपीलांट्स एवं उनके पूर्वज का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। जबकि अपीलांट्स के पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं खातेदारी हैसियत से कृषक भी हैं। खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो वाद में विचारण रहते हैं रेस्पोडेंट प्रतिवादी को सम्मन जारी किया गया। बावजूद तामील प्रतिवादी/रेस्पोडेंट की ओर से विचारण न्यायालय में जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया। दौरान विचारण दावा वादिनी श्रीमती मथुरादेवी का स्वर्गवास होने से उनके विधिक प्रतिनिधियों को रिकार्ड पर लिये जाने के लिये पत्रावली नियत थी कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मथुरादेवी के वारिसान की कार्यवाही को अमल में लाये बिना ही उक्त पत्रावली कैंप कोर्ट में रखते हुये, कैंप कोर्ट में नोटिस अपीलांट्स को प्रेषित नहीं कर वादी/अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत वाद बिना किसी कारणवश दिनांक 11.07.2016 को खारिज करने में कानूनी एवं वाक्याती त्रुटि की है। जिसकी जानकारी अपीलांट्स को भी नहीं हुई हाल ही में दिनांक 24.10.2018 को अपीलांट्स श्रीराम अपने अधिवक्ता से मुकदमे की जानकारी करने बाबत अपने अधिवक्ता के पास आया तब अपीलांट्स के अधिवक्ता ने अपीलांट को अवगत कराया कि आप द्वारा प्रस्तुत वाद कैंप कोर्ट में दिनांक 11.07.2016 को ही खारिज कर दिया गया है। तब अपीलांट यह सुनकर आश्चर्य चकित हो गया एवं

मुकदमें की नकल न्यायालय से प्राप्त करने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया एवं आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात दिनांक 14.11.2018 को नकल प्राप्त होने पर अपीलांट की जानकारी में आया कि अपीलांट्स को बिना किसी जानकारी दिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने मनमाने तरीके से कैंप कोर्ट में वाद खारिज किया गया है। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2016 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यदेवसिंह चारण ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सूचित किये बिना कैंप कोर्ट में पत्रावली रखी जाकर तथा अपने द्वारा पारित आदेश में वादी की उपस्थिति दर्शाते हुये निर्णय पारित किया गया है। जो निर्णय विधि विरुद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने द्वारा पारित निर्णय में यह कहीं भी अंकित नहीं किया है कि कैंप कोर्ट में कौन व किस नाम का वादी उपस्थित हुआ तथा उसको नोटिस किसके द्वारा तामील करवाया। यह कहीं भी उल्लेखित नहीं किया है। जिस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश बिना किसी सूचना दिये क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर विधि विरुद्ध पारित किया है। अपीलांट् के पूर्वज धूड़ाराम का वक्त सेटलमेंट से वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं. 537 रकबा 27 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम, झालामण्ड पर कब्जा काश्त चला आ रहा था एवं सेटलमेंट के वक्त भी धूड़ाराम का गैरखातेदारी के रूप में दर्ज था धूड़ाराम के स्वर्गवास के पश्चात उनके पुत्र पूनाराम एवं पूनाराम के स्वर्गवास के पश्चात उनके वारिस अपीलांट्स एवं मथुरादेवी का कब्जा काश्त चला आ रहा था जो उनके कृषि भूमि के उपयोग व उपभोग में आ रही थी जो आज दिन तक उपयोग व उपभोग में ले रहे हैं। केवल राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज होने से उनके खातेदारी अधिकारों से किसी भी व्यक्ति को कानूनन वंचित नहीं किया जा सकता है केवल राजस्व राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं करने से किसी भी कृषक का अधिकार खत्म नहीं होता है। इस अधीनस्थ न्यायालय ने इस बाबत तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार जोधपुर से दिनांक 14.07.2006 से प्राप्त की थी जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि सम्वत 2012–17 में गैर खातेदार धूड़ा वल्द आईदान दर्ज है उसके बावजूद भी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी प्रकार की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य वादीगण/अपीलार्थीगण से कलमबद्ध किये बिना केवल अपने हटधर्मिता से मनमाने रूप से कैंप कोर्ट में वाद वादी दिनांक 11.07.2016 को निर्णित किया है जो निर्णय विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में दिनांक 15.02.2013 से दिनांक 13.05.2016 की आदेशिकायें देखने से यह पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि इस दरम्यान पत्रावली में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के समक्ष नहीं हुई है केवल मोहर लगी हुई है इतना ही नहीं दिनांक 13.05.2016 की मोहर लगाकर पत्रावली की आगामी तारीख पेशी 12.07.2016 नियत की गई है। परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने 12.07.2016 तारीख पेशी की जगह दिनांक 11.07.2016 में पत्रावली लिये जाने बाबत कोई किसी भी प्रकार का आदेश पारित किये बिना और न ही इस बाबत दिनांक 11.07.2016 की वादीगण/अपीलांट्स को सूचित किये बिना ही पत्रावली कैंप कोर्ट में नियत करते हुये दिनांक 11.07.2016 में निर्णय होना अंकित करते हुये विधि विरुद्ध वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया गया है। वादीगण/अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत वाद रेस्पोडेंट के जबाब में चल रहा और रेस्पोडेंट द्वारा किसी भी प्रकार का अधीनस्थ न्यायालय में न तो जबाब प्रस्तुत किया गया और न ही इस बाबत दस्तावेज भी पेश किये गये। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अखण्डित था जिस ओर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपना ध्यान आकर्षित किये बिना अपने से प्राप्त अधिकारों से बाहर जाते हुये कानून के विपरीत वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद दिनांक 11.07.20016 को निरस्त करने में कानूनी एवं वाक्याती त्रुटि की है। वादीगण अपीलांट्स की ओर से न्यायालय में उपस्थिति बाबत अपने अधिवक्ता के कहे अनुसार निरतर रूप से जब भी आवश्यकता होती उपस्थित रहे। परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने द्वारा पारित आदेश में यह गलत अंकित किया है कि वादी को नोटिस भेजे गये लेकिन नोटिस तामील न होने की दशा में वादी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से तामील कराने हेतु आदेश पारित किया गया था जबकि न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका में यह कहीं भी नहीं अंकित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में अंकित आदेशिका की ओर से अपना ध्यान आकर्षित किये बिना विधि विरुद्ध आदेश पारित किया है। जब वादीगण या उनकी ओर से अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे तो वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किये जाने का न्यायालय को अधिकार प्राप्त था। ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह लिखना सरासर गलत है कि वादीगण को बार–बार

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नोटिस देने के बावजूद न्यायालय मे उपस्थित नहीं हो रहे हैं। वादीगण/अपीलांट्स अपने द्वारा प्रस्तुत वाद अधीनस्थ न्यायालय में खसरा नं. 537 रकबा 27 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम ग्राम झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिये प्रस्तुत किया था जिस वाद में वादीगण की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त कर ही वाद का कानूनन निर्णय किया जाना आवश्यक था जो वादीगण के अधिकारों के विपरीत जाकर अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण की सुनवाई किये बिना वाद वादीगण खारिज किया गया है जो वादीगण अपीलांट्स के प्राप्त अधिकारों का प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण द्वारा अपने वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का भी अवलोकन नहीं किया और न ही इस बाबत रेस्पोडेंट से वादीगण के पूर्वजों से चला आ रहा गैर खातेदारी बाबत दस्तावेज भी तलब नहीं किये जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित है कि गैर खातेदारी अधिकार धूड़ा वल्द आईदान का राजस्व रिकार्ड में अंकित है और उनके स्वर्गवास के पश्चात उनके पुत्र एवं अपीलांट्स को अधिकार प्राप्त हो गये हैं जो अधिकार 50 वर्ष से अधिक समय से वादग्रस्त खसरा नं.537 रकबा 27 बीघा 10 बिस्वा पर काबिज है एवं खातेदारी अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो चुके हैं और जिन खातेदारी अधिकार को रेस्पो. को बिना किसी सुनवाई का अधिकार वादीगण/अपीलांट्स को अवसर दिये बिना समाप्त नहीं किया जा सकता है। जबकि इस बाबत रेस्पो. ने किसी भी प्रकार का कोई नोटिस एवं सुनवाई का अधिकार अपीलांट्स या उनके पूर्वजों को नहीं दिया गया तथा अपने मनमाने तरीके से केवल राजस्व रिकार्ड में अंकित कर देने मात्र से अपीलांट्स का अपने खातेदारी के अधिकार समाप्त नहीं हो जाता है क्योकि अपीलांट्स निरंतर रूप से अपने काबिज उपरोक्त खसरान की कृषि भूमि पर कृषि कार्य उपयोग व उपभोग ले रहे हैं। जिस बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना ध्यान आकर्षित किये बिना अपने मनमाने तरीके से पत्रावली को कैंप कोर्ट में दिनांक 11.07.2016 को रखना उल्लेखित करते हुये अपीलांट्स को किसी प्रकार का कोई कैंप कोर्ट के नोटिस से अवगत कराये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने अपने मनमाने तरीके दिनांक 11.07.2016 को विधि विरुद्ध एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत जाकर आदेश पारित किया गया है जो निर्णय अपने आनप में स्वतः ही निरस्त किये जाने योग्य आदेश है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.07.2016 निरस्त करते हुये अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत वाद

अपीलांट्स के हक में डिक्री करने का निवेदन किया। विकल्प में प्रकरण को रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

अपीलांट के अधिवक्ता ने धारा–5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुये कथन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जानकारी समय पर नहीं हुई क्योंकि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकल दिनांक 14.11.2018 को प्राप्त होने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कंडोन करते हुये अपील अंदर मियाद शुमार की जावे।

5 रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी की अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में उपस्थिति का हवाला दिया हुआ है। अतः उनकी उपस्थिति थी। अतः उपस्थिति के संबंध में वादी का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। तथा अपील मियाद बाहर भी है। अतः अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया।

6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

7 इस प्रकरण में अपील देरी से पेश की गई है। तथा अपीलांट ने अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिये धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की समय पर जानकारी अपीलांट को नहीं होने का कारण अनुपस्थिति में निर्णय व डिक्री पारित किया जाना बताया है। रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने धारा–5 के तथ्यों के खण्डन में जबाब एवं काउंटर शपथ पत्र पेश नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम न्याय हित में स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अपील के निस्तारण से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है उसका अवलोकन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अधीनस्थ का अपीलाधीन निर्णय इस प्रकार है :– *"हमने प्रस्तुत वाद, हल्का पटवारी की रिपोर्ट, राजस्व अभिलेख एवं संपूर्ण पत्रावली का अवलोकन कर विचार किया गया। ग्राम झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर के खाता सं. 1 खसरा नं. 537 रकबा 27 बीघा 10 बिस्वा भूमि राजस्थान सरकार राजकीय भूमि के रूप में दर्ज है। वादीगण की और वाद के साथ प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत 2012–13 एवं 2014–16 के खसरा नं. 537 रकबा 27 बीघा 10 बिस्वा भूमि में धूड़ा वल्द आईदान कौम कुम्हार साकिन देह जमाबंदी में गैर खातेदार अथवा गैर मौरूसी कृषक के रूप में दर्ज है खसरा परिवर्तशील*

सम्वत 2013–14, 2014–16, 2018, 2020–21 धूड़ा वल्द आई गैर खातेदार के रूप में दर्ज है वादीगण का कथन है कि उक्त भूमि पर 2012 से गैर खातेदारी अधिकार राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गये थे एवं 50 वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी कब्जा चला आ रहा है इसी आधार पर वादीगण खातेदारी घोषणा करवाना चाहते हैं जहां तक वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का प्रश्न है तो वादीगण का उक्त भूमि लगातार काबिज काश्त नहीं हैं एवं वादीगण का नाम जो जमाबंदी में आया है वह गैर खातेदार के रूप में नाम आया है। वादीगण की ओर से लगातार काबिज काश्त होने के संबंध में किसी प्रकार के दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये हैं। उक्त भूमि सरकारी भूमि है। एवं सरकारी भूमि पर वादीगण केवल महज अतिक्रमी है जिसको बेदखल करने की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। अतिक्रमी को उक्त भूमि पर खातेदार काश्तकार घोषित करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। जहां तक स्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने का प्रश्न है तो वादीगण न तो खातेदार है न ही काबिज काश्त है महज अतिक्रमी एवं वर्तमान मे उक्त भूमि सरकारी भूमि है ऐसी अवस्था में उक्त भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा दिया जाना न्यायोचित नहीं हैं क्योंकि उक्त भूमि सरकारी होने से वादीगण को काश्त से महरूम किया जाना न ही अन्य किसी व्यक्ति, संस्था आदि को हस्तांतरित एवं किसी प्रकार का दखल किया जाना भी साबित नहीं। ऐसी अवस्था में वादीगण का वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है वादी को नोटिस भेजे गये लेकिन नोटिस तामील न होने की दशा में वादी को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से नोटिस तामील कराने हेतु आदेश दिनांक 18.10.2010 को प्रदान किया गया था लेकिन अधिवक्ता द्वारा 6 वर्ष पश्चात भी न्यायालय के आदेश की पालना न कर मात्र न्यायालय का समय खराब करने की मंशा से उक्त वाद वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है इस प्रकार उक्त वाद को गंभीरता से लेते हुए धारा 151 सी.पी.सी. में प्रदत्त शक्तियों एवं सी.पी.सी. के प्रावधानों का उपयोग करते हुये वादी का वाद 500 रु. की कोस्ट पर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी अवस्था में वादीगण का उक्त वाद चलने योग्य नहीं है फलस्वरूप वादीगण का वाद 500 रु. की कोस्ट पर खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।"

8 अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय में मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदु उठाये हैं :–

(क) अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सूचित किये बिना तारीख पेशी 12.07.2016 के बजाय 11.07.2016 को वादीगण को सूचित किये बगैर कैंप

कोर्ट में पत्रावली रखी जाकर तथा अपने द्वारा पारित आदेश में वादी की उपस्थिति दर्शाते हुये निर्णय पारित किया गया है। जो निर्णय विधि विरुद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

इस बिंदु के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। दिनांक 13.05.2016 की आदेशिका में आगामी सुनवाई दिनांक 12.07.2016 अंकित की हुई है। परंतु पत्रावली को 11.07.2016 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 कैंप कोर्ट में लेकर वाद को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में तारीख पेशी को 11.07.2016 करने संबंधी कोई आदेश पारित नहीं किया गया है और न ही पत्रावली में वादीगण को सूचना का कोई नोटिस पत्रावली में हैं इस प्रकार वादीगण को बिना सूचना के पत्रावली कैंप कोर्ट में रखा जाना पाया जाता है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 11.07.2016 में पक्षकारों या अधिवक्ताओं की उपस्थिति के संबंध में कोई विवरण अंकित नहीं किया है। इससे यह स्पष्ट होता है पक्षकारों की अनुपस्थिति में कैंप कोर्ट में पत्रावली लेकर निर्णय पारित किया है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में केवल वादी व प्रतिवादी की उपस्थिति लिख दी गई है परंतु कौन सा वादी उपस्थित था यह अंकित नहीं है इससे स्पष्ट है कि वादीगण की अनुपस्थिति में निर्णय किया गया है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सूचित किये बिना कैंप कोर्ट में पत्रावली रखी जाकर तथा अपने द्वारा पारित आदेश में वादी की उपस्थिति दर्शाते हुये निर्णय पारित किया गया है।

(ख) वादी का वाद रेस्पोडेंट के जबाब में चल रहा और रेस्पोडेंट द्वारा किसी भी प्रकार का जबाब प्रस्तुत नहीं किया और न कोई दस्तावेज पेश किये। इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अखण्डित था फिर भी वादीगण का वाद खारिज कर दिया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 15.02.2013 से लेकर 13.05.2016 तक अधीनस्थ न्यायालय में आदेशिकाओं पर केवल मोहर लगी हुई है व केवल तारीख पेशी दी गई हैं। दिनांक 11.07.2016 को अचानक कैंप कोर्ट पत्रावली को लेकर निर्णय पारित किया है। निर्णय करने से पूर्व प्रतिवादी का जबाब भी नहीं लिया गया है। प्रकरण में केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट लिया जाना बताया है परंतु पत्रावली में संलग्न पटवारी की तथ्यात्मक रिपोर्ट संलग्न है जिसमें वादग्रस्त भूमि का खसरा नंबर रकबा वर्तमान खातेदार व पूर्व खातेदार (सम्वत 2012 व 2014–17) का वर्णन है। इस प्रकार की रिपोर्ट जबाब का स्थान नहीं ले

सकती। इस रिपोर्ट में गैरखातेदारी को खत्म करने का कारण अंकित नहीं हैं तथा यह रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा भी तैयार नहीं करवाई है केवल पटवारी स्तर की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में वादग्रस्त भूमि पर कब्जे के संबंध में भी कोई टिप्पणी अंकित नहीं हैं तथा यह रिपोर्ट वादीगण की उपस्थिति में नहीं बनाई गई है इसलिये इस रिपोर्ट का दावे के निर्णय में कोई विशेष महत्व नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी की तथ्यात्मक रिपोर्ट को आधार मानकर दावा खारिज कर दिया है जो कतई न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता है। प्रतिवादीगण की ओर से जबाब पेश किये बिना व प्रतिवादी की ओर से संबंधित दस्तावेज के प्रस्तुत किये बिना वादीगण का वाद खारिज किया जाना विधि विरुद्ध है।

(ग) वादीगण/अपीलांट्स अपने द्वारा प्रस्तुत वाद अधीनस्थ न्यायालय में खसरा नं. 537 रकबा 27 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम ग्राम झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिये प्रस्तुत किया था जिस वाद में वादीगण की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त कर ही वाद का कानूनन निर्णय किया जाना आवश्यक था जो वादीगण के अधिकारों के विपरीत जाकर अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण की सुनवाई किये बिना वाद वादीगण खारिज किया गया है जो वादीगण अपीलांट्स के प्राप्त अधिकारों का प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है।

इस बिंदु के विवेचन के लिये वाद के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। वाद के साथ संलग्न जमाबंदी सम्वत 2012–13 एवं 2014–16 के खसरा नं. 537 रकबा 27 बीघा 10 बिस्वा भूमि में धूड़ा वल्द आईदान कौम कुम्हार साकिन देह जमाबंदी में गैर खातेदार अथवा गैर मौरूसी कृषक के रूप में दर्ज है खसरा परिवर्तशील सम्वत 2013–14, 2014–16, 2018, 2020–21 धूड़ा वल्द आईदान गैर खातेदार के रूप में दर्ज है। वादीगण का कथन है कि उक्त भूमि पर 2012 से गैर खातेदारी अधिकार राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गये थे एवं 50 वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी कब्जा चला आ रहा है इसी आधार पर वादीगण खातेदारी घोषणा करवाना चाहते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के प्रशन पर वादीगण का उक्त भूमि लगातार काबिज काश्त नहीं माना है तथा सरकारी भूमि पर वादीगण को केवल महज अतिक्रमी मानकर वाद खारिज कर दिया है। जबकि वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं होने के संबंध में कोई रिपोर्ट अथवा साक्ष्य नहीं है। इस संबंध में यह न्यायालय अपीलांट के अधिवक्ता की बहस से सहमत है कि

अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण द्वारा अपने वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन नहीं किया है जबकि गैर खातेदारी अधिकार धूड़ा वल्द आईदान का राजस्व रिकार्ड में अंकित है और उनके स्वर्गवास के पश्चात उनके पुत्र एवं अपीलांट्स वारिसान हैं जो वादग्रस्त खसरा नं. 537 रकबा 27 बीघा 10 बिस्वा पर काबिज होना बता रहे हैं ऐसी स्थिति में वादीगण को नोटिस दिये बिना व उनकी अनुपस्थिति में बिना सुनवाई के वाद का निर्णय किया जाना न्यायोचित नहीं हैं।

उपरोक्त विवेचन से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित प्रावधानों व लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण के लिये आवश्यक शर्तों का पालन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है व प्रकरण पुन : सुनवाई व विधि अनुसार निस्तारण हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने के योग्य पाया जाता है।

9 अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में प्रतिवादी रेस्पो. का जबाब लेकर तनकीयात कायम की जावें तथा वादीगण व प्रतिवादी को साक्ष्य का प्रस्तुत करने का अवसर दिया जावे तत्पश्चात उभयपक्षकारान की बहस सुनकर विधि अनुसार पुनः निर्णय व डिक्री पारित किया जावे।

28/1/19

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

10 निर्णय आज दिनांक 28.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/1/19

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर